

दि 2015 के लिये अंशत सम्पत्ति का विवरण दिनांक 01.01.2016 की स्थिति

अधिकारी का नाम **उदितेश कुमार गुप्ता** वर्तमान पद **रक्षा लेखा उप निबंधक**
 वर्ग **क** वर्तमान वेतन **31960/-**
 Al.No.- 8319035 **एड अंशत : 6600/-**

उस	उप	आवासीय	वर्तमान	यदि संबंध के नाम में नहीं है तो बताया किस के नाम से है तथा अधिकारी का उससे क्या संबंध है।	क्या खरीदी गई/पट्टे पर ली गई। बांछित भूतस्वामिकासी अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
प्रभाग	भूमि और अन्य भवनों	मूल्य	यदि संबंध के नाम में नहीं है तो बताया किस के नाम से है तथा अधिकारी का उससे क्या संबंध है।	क्या खरीदी गई/पट्टे पर ली गई। बांछित भूतस्वामिकासी अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति	
नाल्लुग और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम व पूरा खोला।	मूल्य	यदि संबंध के नाम में नहीं है तो बताया किस के नाम से है तथा अधिकारी का उससे क्या संबंध है।	क्या खरीदी गई/पट्टे पर ली गई। बांछित भूतस्वामिकासी अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति	
श्री रमेश शास्त्रीनगर मेरठ (उ.प्र.)	आवासीय भवन श्री. 98/22 168 वर्ग मी. से बना हुआ	खरीद मूल्य = 28 लाख अपने	स्वयं के नाम में है।	① खरीदी तारीख 03.06.2009 को अखिलार से ली गयी। ② श्री रजनीव सिंह पुत्र श्री जी.पी. सिंह के पारल अंशक अहिली श्री बालराज सिंह से खरीदी गयी।	कुछ नहीं	—	

20/01/2016

यदि सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण बलासे मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है तो यह मूल्य बलासे ही मान्य होगा। अन्यथा मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है तो यह मूल्य आयोग के द्वारा ही मान्य होगा।
 यदि सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण बलासे मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है तो यह मूल्य आयोग के द्वारा ही मान्य होगा। अन्यथा मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है तो यह मूल्य आयोग के द्वारा ही मान्य होगा।
 यदि सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण बलासे मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है तो यह मूल्य आयोग के द्वारा ही मान्य होगा। अन्यथा मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है तो यह मूल्य आयोग के द्वारा ही मान्य होगा।

श्री. **रमेश शास्त्री** के नाम से ली गयी सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण आयोग के द्वारा किया गया है।